302861/2023

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता
संख्या–80सी0एम0 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–6

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

4– निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

5– निदेशक,
प्रशासन एंव विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण की गाइडलाइन में संशोधन एवं प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। शासनादेश संख्या–1038 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–1, दिनांक 15.07.2022 द्वारा निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों / मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन SNA एवं PFMS के माध्यम से से किये जाने के निर्देश है। शासनादेश संख्या–1373 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–1, दिनांक 28.07.2022 द्वारा गोवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 11.02.2019 में निहित प्रकिया का सरलीकरण किया गया है। शासनादेश संख्या–05 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 द्वारा प्रदेश में निराश्रित गोवंश को दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त उक्त प्रकिया में तेजी लाये जाने के लिये कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) प्रत्येक गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश का खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा पशुचिकित्सा अधिकारी प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के मध्य सत्यापित करते हुये सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह की 30 तारीख को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाय तथा प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख के मध्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन विभाग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाय। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशों के भरण पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित गो आश्रय स्थल (सम्बन्धित पंचायत), गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली समिति अथवा संस्था (यथा स्थिति) को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित किया जाय।

I/302861/2023 (2) मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश का प्रत्येक माह की 25–28 तारीख के मध्य सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल के द्वारा किया जाय एवं सत्यापन रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षर से विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रति हस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट 30 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाय। उक्त के पश्चात 01–03 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित की जाय। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशों के भरण–पोषण हेतु धनराशि सहभागिता योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित किया जाय।

(3) गोवंश की बीमारी की दशा में उनका समुचित उपचार सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाय तथा उपचारित गोवंश का विवरण प्रत्येक माह पोर्टल पर अपलोड किया जाय। इलाज के साथ–साथ पौष्टिक आहार भी समुचित मात्रा में गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली संस्था/सम्बन्धित पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाय। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाये। गो आश्रय स्थलों में गोवंश कमजोर पाये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाय। SFC फण्ड पुलिंग समय से पंचायतों को उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का होगा। इसके अतिरिक्त प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने गो आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश का रूटीन मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

(4) गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की देख भाल हेतु दिन व रात के लिए सम्बन्धित पंचायत द्वारा केयर टेकर की व्यवस्था की जाये। संरक्षित गोवंश को घुमाने की जिम्मेदारी भी केयर टेकर की है। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की तस्करी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। गोवंश की मृत्यु की दशा में तत्काल विधि पूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया जाय।

(5) गो आश्रय स्थलों से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जोडते हुये सामाजिक सहयोग प्राप्त किया जाय। ग्राम स्तर पर गो आश्रय स्थल के समुचित संचालन हेतु प्रबन्ध समिति को समर्थ बनाया जाय।

(6) शमशानघाटों पर दाह संस्कार हेतु लकड़ी के साथ–साथ गोकाष्ठ का प्रयोग भी प्रोत्साहित किया जाय। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के गोबर से गोकाष्ठ बनाकर उसे विक्रय करते हुये, उसके विक्रय से प्राप्त आय को संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु प्रयोग किया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा सम्यक पर्यवेक्षण करते हुए इसे सुनिश्चित किया जाय।

(7) गो आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु जनपद–बदायूँ में तैयार किये जा रहे गो पेन्ट की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक महिला समूह इस निमित्त विकसित करते हुए एवं गो आश्रय स्थल से लिंकेज स्थापित करते हुए गो पेन्ट तैयार किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(8) निर्माणाधीन गो आश्रय स्थलों को उच्च गुणवत्त के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

(9) राज्य सरकार द्वारा पशु संर्वधन एवं संरक्षण के लिये चलायी जा रही सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके।

/302861/2023 (10) पशुपालकों को आपातकालीन सहायता के लिये टोलफ्री हेल्पलाइन नं0–1962 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

3. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन SNA के स्थान पर डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाय। अतः इस सम्बन्ध में संगत शासनादेश द्वारा निर्गत उक्त व्यवस्था को निरस्त करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गोवंश आश्रय स्थलों/मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन DBT के माध्यम से किया जाय।

4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कोई भी निराश्रित गोवंश सड़क/खेतों में विचरण करता हुआ न पाया जाये। विचरण कर रहे समस्त गोवंश को गो आश्रय स्थलों में तत्काल संरक्षित कराया जाये। प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उनके जनपद में कोई निराश्रित गोवंश सड़क/खेतों में विचरण नहीं कर रहा है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 17-04-2023 13:18:50
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–80सी0एम0(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।